



UNIVERSITY OF KOTA, KOTA

State University recognized by UGC under sections 2(f) & 12(B) of the UGC Act, 1956

www.uok.ac.in

No. F() /Dean PG/UOK/2019/...1236....

Date : 4/9/2019

Notice for Direct Admissions against the Vacant Seats

The students desirous to take admission against the vacant seats in various courses running in the University Campus and fulfilling the minimum eligibility criteria as per the University admission policy, may contact the respective departments of the University to submit the admission form, essential documents and fee in the form of DD during 5th to 7th September 2019. The final list of candidates admitted on merit basis will be declared on 9th September 2019. For details, visit admission portal on University website. The last date of admission in the courses except (M.C.A., M.B.A. M.P.Ed. and LL.M.) will be 9th September 2019. The admission will be closed after this date.

[Signature]
Registrar



कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

कार्यालय, स्नातकोत्तर अध्ययन

एम बी एस मार्ग कबीर सर्किल कोटा

क्रमांक: एफ ()/अधि.पीजी./ को.वि.को /2019/ 1297 -1312

दिनांक 4/9/2019

समस्त विभागाध्यक्ष/ पाठ्यक्रम समन्वयक


अति-आवश्यक

विषय:- ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया उपरान्त रिक्त स्थानों पर सत्र 2019-20 में सीधे प्रवेश प्रक्रिया के दिशा-निर्देशों की सूचना हेतु।

महोदय/ महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है विश्वविद्यालय परिसर में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में रिक्त स्थानों पर सीधे प्रवेश (Direct Admission) हेतु दिशा-निर्देश निम्न हैं-

1. विभिन्न पाठ्यक्रमों में सूची अनुसार रिक्त स्थानों पर छात्रों को सीधे प्रवेश दिये जाने की प्रक्रिया दिनांक 05/09/2019 से 07/09/2019 के मध्य संचालित की जा रही है।
2. इस प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक एवं निर्धारित पात्रताधारी योग्य अभ्यर्थियों को संबंधित विभाग में जाकर निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक संलग्नकों के साथ आवेदन करना होगा।
3. आवेदन शुल्क की राशि रु. 500/- विश्वविद्यालय परिसर में संचालित बैंक में चालान द्वारा जमा कराने के पश्चात ही संबंधित अभ्यर्थी को आवेदन पत्र संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
4. विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय नियमानुसार निर्धारित पात्रता पूरा करने पर ही किसी अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जा सकेगा। यद्यपि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राज्य की महिला अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों (महिला एवं पुरुष) को उनके लिए पूर्ण निर्धारित पात्रता प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी। इसी प्रकार स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्रता परीक्षा प्रतिशत में 3 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी। (प्रवेश नीति के बिन्दु सं. 5.22 व 5.23 के अनुसार)
5. विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति के अनुसार निर्धारित अर्हताधारी योग्य अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ पाठ्यक्रम शुल्क, स्थानीय निधि शुल्क व कॉशन मनी की राशि का डी.डी. जो कि कुलसचिव कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के नाम देय हो, संलग्न करना होगा।
6. दिनांक 07/09/2019 को कार्यालय समय तक प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच सम्बंधित विभाग के स्तर पर की जाकर मेरिट के आधार पर निर्धारित पात्रताधारी एवं पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी तथा सफल अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाकर दिनांक 09/09/2019 को विभाग के सूचना पट्ट पर सूची प्रदर्शित की जायेगी।
7. इस प्रवेश प्रक्रिया में आक्षित वर्ग के रिक्त स्थानों पर सामान्य वर्ग के निर्धारित अर्हता धारक अभ्यर्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा तथा सामान्य वर्ग के रिक्त स्थानों पर सभी वर्गों के केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा जो कि सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित अर्हता पूरी करते हों।


(प्रो. आशुरानी)

अधिष्ठाता
स्नातकोत्तर अध्ययन

क्रमांक: एफ ()/अधि. पी.जी./को.वि.को /2019/

दिनांक.....

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति, को.वि.को., कोटा।
2. निजी सहायक, कुलसचिव, को.वि.को।


(डॉ. प्रवीण गोयल)

उप-कुलसचिव